

पत्रांक-५०८(४६)/2011

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग ।

प्रेषक,

अमरजीत सिन्हा,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार ।

पटना, दिनांक १५ नवम्बर, 2011

विषय:- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना ।

महाशय,

क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में यह पाया जा रहा है कि कई जिलों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कुछ चिकित्सक नियमित रूप से कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं । चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर बारी बारी से अपना डियूटी करते हैं ।

सभी सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन सबेरे 9.30 बजे सभी प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उपस्थिति का व्यौरा प्राप्त करें तथा मुख्यालय को इसकी सूचना दें । अनुपस्थित रह रहे चिकित्सा पदाधिकारियों का वेतन भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय । यह निदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । पूर्व में स्पष्ट निदेश निर्गत किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर बायोमेट्रिक विधि से उपस्थिति दर्ज करने की भी व्यवस्था की जाय । हर हालत में यह सुनिश्चित किया जाय कि डियूटी रोस्टर जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों सहित सभी स्तर के अस्पताल में स्पष्ट रूप से सूचना पट पर विज्ञापित हो तथा सबको मालूम हो कि किनकी डियूटी किस वक्त है ।

इसी प्रकार से स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है । यदि टीकाकरण या किसी अन्य कार्य से यदि वे किसी गांव में जाती हैं तब उस परिस्थिति में स्वास्थ्य उप केन्द्रों के सूचना पट पर यह जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि किस गांव में वह काम कर रही है । प्रत्येक स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर सूचना पट स्थापित करना

सुनिश्चित करें तथा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के क्षेत्र भ्रमण की पूरी जानकारी सूचना पट पर अवश्य उपलब्ध हो। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सभी प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दूरभाष की व्यवस्था की गयी थी। सिविल सर्जन कृपया सुनिश्चित करेंगे कि सभी दूरभाष कार्यरत हैं तथा राज्य स्वास्थ्य समिति से नियमित रूप से प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सबेरे और शाम पूरे दिन भर की प्रगति की भी जानकारी ली जाय।

विश्वासभाजन,

(अमरजीत सिंह)

ज्ञापाक:- ५०८ (HS)

/पटना, दिनांक:- १५-११-२०११

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध होगा कि प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।

(अमरजीत सिंह)